महत्वपूर्ण एवं खास

मौसम विभाग ने दी चेतावनी आने वाले तीन दिनों में हो सकती है भारी बारिश

रायपुर (आरएनएस)। मानसून द्रोणिका और निम्न दाब के प्रभाव के चलते गुरुवार से तीन दिनों तक भारी वर्षा के आसार है। साथ ही गुरुवार को राजधानी समेत प्रदेश भर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। इधर, पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार वर्षा के चलते अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। बुधवार को रायपुर समेत प्रदेश के विभिन्ना क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में हल्की व मध्यम वर्षा भी हुई। रायपुर का अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस कम रहा। प्रदेश भर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा में 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि मानसून द्रोणिका गंगानगर, रोहतक और उसके बाद पूर्व- दक्षिण पूर्व की ओर उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक स्थित है। एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा झारखंड और उससे लगे गंगेटिक पश्चिम बंगाल के ऊपर 1.5 किमी से 5.8 किमी ऊंचाई तक विस्तारित है। इसके प्रभाव से गुरुवार को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भारी वर्षा के आसार है।

लिफ्ट के बहाने बालिका से छेड़खानी, आरोपी पर बरमकेला थाने में अपराध दर्ज

रायगढ़। दिनांक 20.07.2022 को थाना बरमकेला में 15 वर्षीय बालिका के पिता, बालिका के साथ छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। रिपोर्टकर्ता बताये कि दिनांक 20/07/2022 को बालिका स्कूल जाने के लिये निकली थी जिसे रास्ते से बेंद्रापारा का लड़का स्कूल तक बाइक में छोड़ दूंगा कहकर जबरजस्ती मोटर सायकल में बिठाकर देवदरहा की ओर से ले गया। बालिका युवक को स्कूल छोड दो कहकर रोने लगी जिसे युवक डराया और गंदी नियत से शरीर को छुने लगा। बालिका के चिल्लाने, शोर मचाने पर युवक किसी को घटना नहीं बताने की धमकी देकर छोड़ दिया। बालिका अपनी सहेली का सायकल लेकर घर पहुंची और घटना वृत्तांत सुनाई, रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 354 IPC 8, 12 Pocso Act के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिये उसके घर दबिश दिया गया जो फरार है।

घायल वन्य जीव हिरण का शावक भटककर पहुंचा जिला मुख्यालय

नारायणपुर (आरएनएस)। जिले का अधिकांश हिस्सा वनों से आच्छादित होने से वन्य जीव के लिए अनुकूल है, यहां वन्य जीव की बहुलता होने से तथा जिला मुख्यालय से सटे जंगल से यदा-कदा वन्य जीव रिहाईसी इलाके में भटककर पहुंच जाते हैं। इसी क्रम में एक हिरण का शावक घायल अवस्था में भटककर रामकृष्ण मिशन आश्रम आईटीआई के पास जंगल पार्क में एक हिरण का बच्चा घायल अवस्था में मिला, इसकी सूचना वन विभाग मिलते ही घायल हिरण के शावक को पकडक़र नारायणपुर पशु चिकित्सालय लाया गया जहां उसका उपचार जारी है। नारायणपुर रेंजर वीरभद्र देवांगन ने बताया है यह हिरण प्रजाति का वन्य जीव है, इसे स्थानिय बोली कोडरी कहते हैं, अभी इसका इलाज जारी है, पूरी तरह से खतरे के बाहर है। स्वस्थ होते ही हिरण के शावक को सुरक्षित जंगल में छोड़ा दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में अनाजों के बाद अब एमएसपी पर दालों की होगी खरीदी

राज्य सरकार ने किसानों को दी एक और राहत

रायपुर/नई दिल्ली (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। एमएसपी पर अनाजों की सफलता पूर्वक खरीदी के बाद राज्य में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों की खरीदी होगी।

अक्टूबर से मार्च 2023 तक राज्य सरकार 25 मंडियों में किसानों से दाल खरीदेगी, इसके लिए पहले से पंजीयन कराना होगा। राज्य सरकार ने अरहर/ उड़द के लिए 6600 रुपए प्रति क्विंटल तथा मूंग के लिए 7755 रुपए प्रति क्विंटल की दर तय की गयी है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में 28 जुलाई से 4 रुपये लीटर गोमूत्र खरीदी की घोषणा की है। अब एमएसपी पर दाल खरीदी की घोषणा को किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब छत्तीसगढ़ के किसानों को अब दालों का भी मिलेगा उचित मूल्य मिल सकेगा।

उड़द एवं मूंग की खरीदी 17 अक्टूबर 2022 से 16 दिसम्बर 2022 तक तथा अरहर की खरीदी 13 मार्च 2023 से 12 मई 2023 तक की जाएगी।

उपार्जन केन्द्र पर आवश्यक भौतिक संसाधनों, उपकरणों एवं मानव संसाधन की व्यवस्था मार्कफेड द्वारा की जाएगी। यूनिफाईड फार्मर पोर्टल पर कृषक का पंजीयन कर उपलब्ध डाटा नाफेड को दिया जाएगा। नाफेड द्वारा उक्त डाटा ई-समृद्धि पोर्टल में उपार्जन हेतु इंटीग्रेड किया जाएगा एवं चयनित उपार्जन केन्द्रों से उक्त कृषकों की टैगिंग की जाएगी।

राज्य में खरीफ सीजन 2022 में राज्य में एक लाख 40 हजार हेक्टेयर में अरहर, 22 हजार हेक्टेयर में मूंग तथा एक लाख 75 हजार हेक्टेयर में उड़द की खेती का लक्ष्य है। कृषि विभाग द्वारा राज्य में 94,500 मेट्रिक टन अरहर, 12,100 मेट्रिक टन मूंग तथा 70,000 मेट्रिक टन उड़द का उत्पादन अनुमानित है।

फर्जी डिग्री वालों को शिक्षाकर्मी की नौकरी देने वाला जनपद के तत्कालीन सीईओ गिरफ्तार

- आरोपी को सोमवार को देर रात्रि गृहनिवास भिलाई से घेराबंदी कर पकड़ा गया
- एसआईटी.टीम द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही

धमतरी (आरएनएस)। थाना मगरलोड में पंजीबद्ध अपराध 124 / 2011 धारा 420 , 467 , 468 , 471,120 , या भादवि0 का पंजीयन आवेदक कृष्ण कुमार साहू साकिन चंदना के द्वारा जनपद पंचायत मगरलोड में वर्ष 2007 के दौरान शिक्षाकर्मी वर्ग -03 की भर्ती में तत्कालीन सीईओ0 के0 के0 तिवारी द्वारा अभ्यर्थियों के अको को बढाकर , बनावटी अंक प्रदान कर अमान्य तथा कुटरचित प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थियों को अंक प्रदान कर चयन किये जाने संबंधी शिकायत प्राप्त हुआ था।

पूर्व में सीआईडी द्वारा जॉच की जा रही थी जिसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर एसआईटी की टीम गठित कर तत्काल अग्रिम कार्यवाही हेतु जाँच के लिए आदेशित किया गया था।

एसआईटी.में थाना प्रभारियों की टीम गठित कर जॉच एवं विवेचना में संकलित साक्ष्य पूर्व विवेचनाधिकारियों के द्वारा प्रकरण में जप्त किये गये दस्तावेज एवं अभ्यर्थियों के आवेदन में सलग्न दस्तावेजों जिसके आधार पर आरोपी के. के. तिवारी व अन्य के द्वारा अंक प्रदान कर आरोपी के द्वारा अंक तालिका जारी कर चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन पश्चात अपात्र अभ्यर्थियों को शिक्षाकर्मी वर्ग 03 की नियुक्ति आदेश जारी करना , पात्र अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को जानबूझकर नियुक्ति से वंचित कर अपात्र अभ्यर्थियों को नियुक्त करने के संबंध में साक्ष्य पाये जाने से तत्कालीन जनपद सीईओ कमलाकांत तिवारी की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना किया गया था।

नाम आरोपी: 01. कमलाकात तिवारी उर्फ के.के. तिवारी उम्र 52 वर्ष तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मगरलोड हाल परियोजना अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग , निवासी 01 सी मैत्रीविहार कोहका निलाई थाना सुपेला जिला दुर्ग (छ0ग0) को दिनांक 19.07.22 को विधिवत गिरफ्तार कर थाना मगरलोड अपराध कमांक : - 124/11 धारा 420 , 467 , 468,471.120 बी मादवि 3 (9) 4 एसटी / एससी एक्ट के तहत आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश कर को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

बस्तर संभाग के सातों जिलों में प्रतिवर्ष 4 सौ नक्सली अत्मसमर्पण कर रहे हैं - सुंदरराज पी

- इस वर्ष जनवरी से जुलाई तक 280 नक्सली कर चुके हैं आत्मसमर्पण
- आत्मसमर्पित नक्सलियों को पुनर्वास नीति के तहत मदद पहुंचाई जा रही है

जगदलपुर (आरएनएस)। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि बस्तर संभाग के सातों जिले नक्सल प्रभावित हैं, बस्तर संभाग में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत औसतन प्रतिवर्ष यहां 400 नक्सली अत्मसमर्पण कर रहे हैं। इस वर्ष 2022 की बात करें तो अब तक 280 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। यह लाल आतंक के विरूद्ध चल रही लड़ाई में बड़ी कामयाबी है। अत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में एरिया कमेटी और जनताना सरकार के सदस्यों की संख्या अधिक है। आत्मसमर्पित नक्सलियों ने कई खुलासे किए हैं, जिनके अनुसार बड़े नक्सली नेता छोटे नक्सली कैडरों को प्रताड़ित करते हैं। उन्हें नक्सल संगठन में परिवार को बढ़ाने की अनुमति नहीं मिलती है।

गौरतलब है कि बस्तर में सक्रिय नक्सल संगठन के बड़े कैडर के नक्सली या डिवीजन स्तर के नेताओं के आत्मसमर्पण या गिरफ्तारी के मामले काफी कम है। वर्ष 2016 से बस्तर में आत्मसमर्पण की रफ्तार काफी तेज हुई है। पुलिस का कहना है कि इस आत्मसमर्पण से धीरे-धीरे नक्सलियों का ग्रामीण इलाकों में भय कम हो रहा है। लगातार जगह-जगह रणनितिक स्थानों पर पुलिस कैंप खुलने से पुलिस को बढ़त मिल रही है। आत्मसमर्पण की तादाद इसी बात से समझी जा सकती है कि जनवरी से लेकर जुलाई 2022 तक 280 नक्सली बस्तर संभाग के अलग-अलग जिलों में अब तक आत्मसमर्पण किये हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोंडागांव को हाल ही में नक्सल मुक्त जिला घोषित किया गया है, इसके बावजूद जिले के कुछ हिस्सों में छुटपुट नक्सल गतिविधियां बनी हुई है। प्रति वर्ष औसतन 400 आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार की तरफ से पुनर्वास नीति के तहत मदद पहुंचाई जा रही है।

अवैध बिक्री के लिए ओडिसा से मोटर सायकल पर गांजा ला रहे दो आरोपी गिरफ्तार, 2 किलो गांजा और मोटर सायकल जब्त

- डोंगरीपाली पुलिस की कार्यवाई

रायगढ़। दिनांक 20.07.2022 को डोंगरीपाली पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर ग्राम बिरनीपाली बेरियर के पास गांजा रेड कार्रवाई कर ओडिसा से गांजा लेकर आ रहे दो गांजा तस्करों को पकड़ा गया, जिनके पास से 2 किलो गांजा बरामद हुआ है। थाना प्रभारी डोंगरीपाली को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सारंगढ़ में रहने वाला देवचरन बंजारे थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ओडिसा से गांजा लेकर आता है जो पुलिस की चेकिंग से बचने अपने मोटर सायकल के पीछे एक वृद्ध व्यक्ति को बैठाकर ले जाता है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है।

थाना प्रभारी डोंगरीपाली को मुखबिर से सूचना मिला था कि एक काला रंग की हीरो एचएफ डिलक्स मोटर सायकल क्रमांक CG 13- UA- 6357 में दो व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर सोहेला उडीसा से बरमकेला की ओर जाने वाले है, सूचना पर थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ बिरनीपाली बेरियर के आगे मेन रोड में घेराबंदी कर दोनों तस्करों को पकड़ा गया। पूछताछ पर मोटर सायकल चलाने वाला अपना नाम देवचरन बंजारे पिता भगत बंजारे उम्र 36 वर्ष साकिन गठियापाली, पोस्ट पपंगा थाना भेड़न, जिला बरगढ़ उड़ीसा एवं पिछे बैठा व्यक्ति अपना नाम रघुनन्दन चौहान पिता पीरथीराम चौहान उम्र 72 वर्ष साकिन वार्ड नं. 16 डभरा रोड़ खरसिया थाना खरसिया बताया। उनके पास रखे एक काला सफेद रंग के कपड़ा के बैग के अंदर 02 हरे रंग के झिल्ली में भरा गांजा मिला, जिसका पहचान और वजन कराया गया जो 2 kg गांजा कीमत 20,000 रूपये पाया गया। आरोपी देवचरन बंजारे बताया कि सारंगढ़ उसका ससुराल है, वह थोड़ी-थोड़ी मात्रा में गांजा लेकर आता है और आसपास अवैध रूप से बेचता है, रघुनंदन चौहान को पुलिस जांच से बचने लेकर जाता है, और गांजा बिक्री रूपये से उसे भी रकम देता है। आरोपियों से मादक पदार्थ गांजा और परिवहन में प्रयुक्त मोटर सायकल की जप्ती कर आरोपियों पर 20(B) NDPS Act की कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी डोंगरीपाली उप निरीक्षक ए.के. बेक, सहायक उप निरीक्षक रामकुमार मानिकपुरी, आरक्षक संतोष एक्का और किरण यादव की अहम भूमिका रही है।

संभागायुक्त डॉ.अलंग ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जनजाति समाज प्रतिनिधियों से की चर्चा

- जाति प्रमाण पत्र से संबंधित समस्याओं का समाधान के दिए निर्देश

रायगढ़। संभागायुक्त डॉ.संजय अलंग ने आज बिलासपुर से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के विभिन्न जनजाति समाज प्रतिनिधियों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी। डॉ.अलंग ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप जनजाति समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने में हो रही समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष से वीडियो कान्फ्रेंसिंग में जुड़े समाज प्रमुखों ने मात्रात्मक त्रुटियों एवं मिसल रिकॉर्ड के अभाव में जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने की समस्या बताई। इस पर कलेक्टर रानू साहू ने ग्राम सभा की अनुमोदन से जाति प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही जाति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को सहज रूप से समझने की सुविधा के उद्देश्य से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सरलीकरण निर्देश के तहत जाति प्रमाण पत्र जारी करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनजाति वर्ग के लोगों की सुविधा के लिए पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मात्रात्मक त्रुटियों वाले प्रकरणों का प्रस्ताव तैयार कर संभागायुक्त के माध्यम से शासन को भेजा जाएगा, जिससे उन पर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग में जिला पंचायत सीईओ अबिनाश मिश्रा, सहायक आयुक्त आदिवासी अविनाश श्रीवास, एसडीएम रायगढ़ गगन शर्मा सहित पठारी समाज से मेघनाथ जगत, विजय नेताम व एम.एल. मरावी, नगेसिया समाज से भरत लाल व नवरतन, उरांव समाज से लच्छीराम, बिरहोर समाज से केंदराम, राजगोंड़ समाज से बिनोद कुमार, संवरा समाज से रोहित सिदार एवं पीएल सिदार, झारा समाज से भोगीलाल व धनीराम, पाव पबिया समाज से नारायण प्रसाद सिदार उपस्थित रहे।

सो रहे छोटे भाई की टंगिया मार कर हत्या

महासमुंद (आरएनएस)। सिंघोड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम पैकिन में सो रहे छोटे भाई के गले पर टंगिया से 4 बार ताबड़तोड़ वार कर बड़े भाई ने हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने आरोपी से हत्या में प्रयुक्त टंगिया भी जब्त कर लिया है। सूचना पर पुलिस टीम पहुंची तो प्रेम सागर भोई (20) खाट में खून से लथपथ पड़ा था। उसके गले में धारदार हथियार के वार के निशान थे। पूछताछ से पता चला कि उसके बड़े भाई दया सागर (30) ने टंगिया से गले में 4 वार कर मौत के घाट उतार दिया है। आरोपी दयासागर भोई को हिरासत में लिया गया टंगिया भी जब्त कर लिया गया है। हत्या की वारदात को अंजाम देने के पूर्व दोनों ने दोपहर में एक साथ खाना खाया। बताया जा रहा है कि ये दोनों काम करने गए थे। दोपहर में दोनों घर वापस आए और एक साथ खाना खाए। बाद छोटा भाई खाट में सो गया, जब वह गहरी नींद में सो गया। तो बड़े भाई दयासागर टंगिया से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया।

ग्राम देलारी में पूंजीपथरा पुलिस की शराब रेड कार्यवाई, 25 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। दिनांक 20.07.2022 को थाना पूंजीपथरा की पेट्रोलिंग द्वारा मुखबिर सूचना पर ग्राम देलारी के आनंद राम उरांव के घर शराब रेड कार्रवाई किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि आनंद राम उरांव घर पर अवैध रूप से शराब बेच रहा है। रेड कार्रवाई में आरोपी आनंद राम उरांव के कब्जे से दो नग प्लास्टिक बोरियों में 65 नग पन्नी पाउच (प्रत्येक पाउच में 200 ml महुआ शराब) जुमला 25 लीटर महुआ शराब कीमती 2,500 रूपये एवं शराब बिक्री रकम 100 रूपये मौके पर जप्त किया गया। आरोपी आनंद राम उरांव पिता पतिराम उरांव उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम - देलारी थाना पूंजीपथरा को मय अवैध शराब थाना लाया गया जिस पर धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट की कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है। शराब रेड कार्रवाई में प्रधान आरक्षक राधेश्याम कमल, गौतम ठाकुर, आरक्षक विरेन्द्र कुमार कंवर, सुकृत लाल शामिल थे।

थाना प्रभारी ने स्कूलों में विद्यार्थियों को दिए सायबर अपराधों की जानकारी

- अभिनव विद्या मंदिर, स्वामी आत्मानंद और आदर्श ग्राम भारती विद्या मंदिर में आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन पर थाना प्रभारी पुसौर उप निरीक्षक गिरधारी साव द्वारा क्षेत्र के अभिनव विद्या मंदिर, स्वामी आत्मानंद हिन्दी एवं अंग्रेजी स्कूल और आदर्श ग्राम भारती विद्या मंदिर जाकर विद्यार्थियों को साइबर अपराध एवं साइबर अपराध से बचने के उपाय, गुड टच-बैड टच, महत्वपूर्ण हेल्प लाइन नम्बर की जानकारी देते हुए यातायात नियम को विस्तार पूर्वक बताकर यातायात नियमों का पालन करने प्रेरित किया गया।

थाना प्रभारी पुसौर उप निरीक्षक गिरधारी साव ने विद्यार्थियों को साइबर अपराध का मुख्य कारण जागरूकता की कमी और मोबाइल एवं इंटरनेट पर बरती गई लापरवाही को बताये और छात्र-छात्राओं को मोबाइल फोन का उपयोग करते समय अत्यंत सावधानी बरतने कहा गया। उनके द्वारा फेसबुक, व्हाट्एप, इंस्टाग्राम आदि मोबाइल ऐप के माध्यम से किसी भी अनजान व्यक्ति से दोस्ती ना करने तथा अपने तथा अपने परिवार जन के विषय में आवश्यक जानकारी साझा नहीं करने की समझाइश दिये। उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्ररित करते हुए मोबाइल से दूरी बनाकर रखने में ही उनकी भलाई बताये। थाना प्रभारी पुसौर द्वारा विद्यार्थियों को महिला एवं बाल अपराधों पर विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए गुड-टच, बैड टच को परिभाषित किये। छात्राओं को ऑभेव्यक्ति ऐप के बारे में बताया गया और यातायात नियमों का पालन करने कहते हुए परिवार के सदस्यों को हेलमेट लगाने, वाहन को सीमित गति से चलाने, मोटरसाइकिल पर तीन सवारी ना चलने, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने तथा गाड़ी के आवश्यक दस्तावेज ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा गाड़ी का फिटनेस हमेशा साथ रखने परिवार के सदस्यों को जानकारी देने कहा गया। थाना प्रभारी द्वारा छात्र छात्राओं को स्कूल घर तथा गांव में जब कभी भी पुलिस सहायता हो तो डायल 112, 1091 हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर पुलिस सहायता प्राप्त करने के संबंध में बताया गया। कार्यक्रम में स्कूल के प्राचार्य एवं शिक्षकगण अधिक संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं एवं थाना प्रभारी के साथ थाना पुसौर के स्टाफ उपस्थित रहे।

सीएचसी सारंगढ़ में हुई स्वास्थ्य विभाग की बैठक

- सीएमएचओ ने सारंगढ़ में बढ़ रहे उल्टी-दस्त के प्रकरणों की रोकथाम पर दिए आवश्यक निर्देश
- पीएचसी कोसीर व डायरिया प्रभावित गांव बटाउपाली का भी किया निरीक्षण

रायगढ़। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी की उपस्थिति में विकासखंड सारंगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सारंगढ़ के समस्त चिकित्सा अधिकारी, सेक्टरइंचार्ज, सुपरवाइजर की बैठक हुई। इस मौके जिला टीकाकरण अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला आईडीएसपी नोडल अधिकारी द्वारा एवं जिला सलाहकार भी मौजूद रहे। जिसमें समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा किया गया। बैठक में जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़े की प्रगति, हेल्थ वेलनेस सेंटरों की कार्यो की प्रगति, गैर संचारी रोग संबंधी की उपलब्धि की समीक्षा एवं अन्य सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार निर्देश दिए गए। विकासखंड सारंगढ़ में बढ़ रहे उल्टी-दस्त के प्रकरणों के संबंध में इलाज संबंधी एवं प्रकरण को रोकने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोसीर व डायरिया प्रभावित गांव बटाउपाली का भी निरीक्षण किया गया। जहां समस्त ग्रामवासियों को उल्टी-दस्त से बचने के उपाय, साफ-सफाई, पानी को उबाल कर व क्लोरिन डालकर पीने एवं अन्य आवश्यक सावधानियों के बारें में जानकारी देकर सुरक्षा के उपायों को अपनाने हेतु अपील किया गया। विभाग के कर्मचारियों को सतत् निगरानी रखते हुए घर-घर भ्रमणकर एवं कैंप लगाकर आवश्यक दवाईयों के वितरण एवं संधारण करने निर्देश दिये गये तथा नये प्रकरण प्राप्त होने पर उच्चाधिकारियों को तत्काल सूचित करते हुए आवश्यकतानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोसीर का औचक निरीक्षण किया गया जिसमें सभी मौसमी बीमारियों से संबंधित दवाईयों का संधारण करने एवं सभी कर्मचारियों को सर्तक रहते हुए मरीजों का आवश्यकतानुसार उपचार करने संबंधी दिशा-निर्देश दिये गये।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480